राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 78/2023

प्रार्थी– **बनाम** **अप्रार्थीगण–**

प्रार्थी–

1. श्री हड़मानराम पुत्र देवाराम, जाति नाई, निवासी देवंदी, हाल मवड़ी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा,

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत देवंदी, पंचायत समिति सिवाना, जिला बालोतरा
2. विकास अधिकारी, सिवाना
3. श्री तेजाराम पुत्र हुकमाराम
4. श्री नेमाराम पुत्र देवाराम
5. श्री चन्दनमल पुत्र देवाराम
6. श्री रमेश कुमार पुत्र देवाराम जातियान नाई, निवासीयान देवंदी, हाल मवड़ी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 46 दिनांक 20.11.2009 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत देवंदी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री कपिल श्रीमाली, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री उम्मेद सिंह चम्पावत, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री दिनेश कुमावत, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4, 5 की ओर से उपस्थित।
4. प्रार्थी संख्या 6 स्वयं बावजुद सूचना अनुपस्थित।
5. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 06.08.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत देवंदी द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 20.11.2009 के विरूद्ध दिनांक 12.04.22023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत देवंदी द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 तेजाराम पुत्र

जिला कलक्टर
बालोतरा

हकमाराम के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत मौजा देवंदी में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 46 दिनांक 20.11.2009 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 1022.22 वर्ग गज दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उत्तर में 50,180 फीट व देवाराम व रास्ता, बदिशा दक्षिण में 50, 180 फीट व सवाई सिंह व नारायणराम, पूर्व में 40, 40 फीट व नारायण सिंह व नारायणराम एवं पश्चिम में 40, 40 फीट व रास्ता व उकाराम प्रजापत आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत देवंदी से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत उक्त निगरानी पेश की है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 सगे भाई है। सभी भाइयों का निवास गांव मवड़ी में पिछली दो पीढ़ी से लगातार है तथा गांव मवड़ी में उनके मकान बने हुए है, गांव देवंदी से उनका किसी भी रूप से तालुक नहीं है। प्रार्थी द्वारा पेश निगरानी आलोच्य पट्टा जारी होने के 14 वर्ष बाद निगरानी पेश की गई है तथा म्याद अवधि के संबंध में किसी भी तरह से कोई ठोस साक्ष्य निगरानी के साथ पेश नहीं किया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत देवंदी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी किया आलोच्य पट्टा पट्टा संख्या 46 दिनांक 20.11.2009 पूर्णतय विधि सम्मत से अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी किया गया है। अगर प्रार्थी उक्त आलोच्य भूखण्ड पैतृक संपति मानते है तो घोषणा का दावा सिविल कोर्ट में करना चाहिए, न कि न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष पेश करे। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी पट्टा में किसी प्रकार की कोई अवैधता, अनियमितता या अपूर्णता नही होने एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित तथा निगरानी म्याद बाहर होने से खारिज फरमाया जावें।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड का अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम पट्टा जारी किया है, जो कि पुश्तैनी भूमि का पट्टा जारी किया है। उक्त आलोच्य

जिला कलक्टर
बालोतरा

भूखण्ड प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के संयुक्त हक हिस्से की पुश्तैनी भूमि होने से उक्त आलोच्य भूखण्ड पर सभी का समान रूप से हक अधिकार होने से अप्रार्थी संख्या 3 तेजाराम के हक में संपूर्ण भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा प्रार्थी के हकों के विरूद्ध अवैध व शून्य होने से निरस्त योग्य है।

6. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह कथन किया कि प्रार्थी का आलोच्य भूखण्ड मौजा देवंदी, ग्राम पंचायत देवंदी में अवस्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 देवाराम के पुत्र है एवं अप्रार्थी संख्या 3 हुकमाराम के पुत्र है। देवाराम व हुकमाराम सगे भाई है। समस्त पक्षकारान संयुक्त रूप से ग्राम देवंदी में रहवास करते थे। देवाराम के परिवार के सभी सदस्य प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 रोजगार के लिए ग्राम मवड़ी में रहवास करने लगे। उक्त भूखण्ड पुश्तैनी समय से प्रार्थी के हिस्सा में पुराना मकान बना हुआ था। उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के संयुक्त हक हिस्से की पुश्तैनी भूमि होने कारण उक्त आलोच्य भूखण्ड में समस्त पक्षकारान का हिस्सा है, जबकि उक्त विवादित भूखण्ड का आलोच्य पट्टा संख्या 46 दिनांक 20.11.2009 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 तेजाराम के नाम जारी किया गया, जो कि संयुक्त भूमि का केवल अप्रार्थी संख्या 3 के नाम पट्टा जारी करना नियम विरूद्ध है। उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित पत्रावली की आदेशिका में कांट छांट करते हुए अप्रर्थी संख्या 3 के नाम पट्टा जारी किया गया। उक्त आलोच्य पट्टा जारी करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किय गया। साक्षीगण के खाली बयान फार्म पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाए गए, जो कि मौके के पड़ौसी भी नहीं है। उक्त आलोच्य पट्टा जारी करने का जो निर्णय होना बताया है, उक्त प्रस्ताव ग्राम पंचायत की बैठक में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आलोच्य पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है।

7. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने पुश्तैनी भूखण्ड में खड़े बबूल के पेड़ को काट–छांट कर हटाने लगा तब अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा रोका गया और कहा कि उक्त आलोच्य भूखण्ड पर प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या 3 के नाम का पट्टा जारी करवा दिया गया है। इस हेतु प्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य पट्टे के नकल दिनांक 05.12.2022 को प्राप्त की गई और उक्त आलोच्य भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम जारी होने की जानकारी हुई है। इस प्रकार उक्त पटटा नियम 157(1) की अनदेखी कर जारी किया गया है, जो खारिज होने योग्य है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

8. अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत उक्त निगरानी पेश की है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 सगे भाई है। उक्त आलोच्य भूखण्ड पर भाइयों का कोई लेना देना नहीं है, सभी भाइयों का निवास गांव मवड़ी में पिछली दो पीढ़ी से लगातार है तथा गांव मवड़ी में उनके मकान बने हुए है, गांव देवंदी से उनका किसी भी रूप से तालुक नहीं है। प्रार्थी द्वारा पेश निगरानी आलोच्य पट्टा जारी होने के 14 वर्ष बाद निगरानी पेश की गई है तथा म्याद अवधि के संबंध में किसी भी तरह से कोई ठोस साक्ष्य निगरानी के साथ पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपने पुराने निवासगृह का आवासीय पट्टा जारी कराने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मे पत्रावली का संधारण किया जाकर शुल्क वसूल कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई है तथा सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस भी प्रकाशित किया गया है। इसके पश्चात पंचायत की आम बैठक मे सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसरण मे आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय मे प्रत्येक प्रक्रम की कार्यवाही को आदेशिका में अंकित किया गया है तथा नियमों के परिप्रेक्ष्य मे सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न किया जाना पाया जाता हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत देवंदी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी किया आलोच्य पट्टा पट्टा संख्या 46 दिनांक 20.11.2009 पूर्णतय विधि सम्मत है, जो राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के सम्पूर्ण नियमों की पालना करते हुए प्रकिया पूर्ण करते हुए नियम 157(2) के तहत अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 के संयुक्त पैतृक संपति है। अगर प्रार्थी उक्त आलोच्य भूखण्ड पैतृक संपति मानते है तो घोषणा का दावा सिविल कोर्ट में करना चाहिए, कि न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष पेश करे। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी पट्टा में किसी प्रकार की कोई अवैधता, अनियमितता या अपूर्णता नही होने एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित तथा निगरानी म्याद बाहर होने से खारिज फरमाया जावें।

9. अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि आलोच्य भूखण्ड का अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम पट्टा जारी किया है, जो कि पुश्तैनी भूमि का पट्टा जारी किया है। उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के संयुक्त हक हिस्से की पुश्तैनी भूमि होने से उक्त आलोच्य भूखण्ड पर सभी का समान रूप से हक अधिकार होने से अप्रार्थी संख्या 3 तेजाराम के हक में संपूर्ण भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा प्रार्थी के हकों के विरूद्ध अवैध व शून्य होने से निरस्त योग्य है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

10. अप्रार्थी संख्या 6 स्वयं दौराने बहस बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

11. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 की मुख्य आपति है कि उक्त आलोच्य पट्टा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 की संयुक्त पैतृक भुखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम जारी किया गया है। ग्राम पंचायत से तलब किया गया अभिलेख का अवलोकन करने पाया कि नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए भूमि का मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई तथा स्थानीय जांच उपरांत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस प्रकाशित किया। इसके पश्चात निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत की आम बैठक में प्रस्ताव पारित कर आलोच्य पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत के द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैधता नहीं की गई हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि के अभाव में प्रार्थीगण की इस निगरानी में धारा 97 में विहित आधार नहीं बनता हैं। इसके अलावा भी आलौच्य पट्टा विलेख जारी होने से यदि प्रार्थीगण अपने हक–अधिकार प्रभावित होना मानते हैं तो उन्हे सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। ऐसे में प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता की कसौटी पर उल्लेखित आधारों पर स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

12. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विप्रार्थी संख्या 03 के नाम जारी आलोच्य पट्टा संख्या 46 दिनांक 20.11.2009 को बहाल रखते हुए प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

13. निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा